

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांक: 306

दिनांक: 24.03.2026

रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ विकास कुमार स्वामी, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा माह अप्रैल 2026 में पड़ने वाले अवकाशों के दिन सीकर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, मृत्युकालीक कथन, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य) की सुनवाई हेतु निम्न पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम न्यायिक अधिकारी	पदनाम	अवकाश दिनांक
1.	श्री जयराम जाट	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, सीकर	03 अप्रैल 2026
2.	श्री प्रशांत पूनिया	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, सीकर	05 अप्रैल 2026
3.	श्री हिमांशु कुमावत	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर	11 व 12 अप्रैल 2026
4.	श्रीमति शिखा शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, सीकर	14 अप्रैल 2026
5.	श्रीमती संध्या पूनिया	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, सीकर	19 अप्रैल 2026
6.	श्रीमति ईशा सांघी	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, सीकर	26 अप्रैल 2026

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 12.04.2026 तक के अवकाशों में विशेष रूप से 11.30 से 2.00 पी.एम.तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा दिनांक 13.04.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक के अवकाशों में विशेष रूप से 09.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा मुल्जिम को पेश करने वाला अधिकारी संबंधित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करे।
- अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के ठीक पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।
- नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को ड्यूटी करने में असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

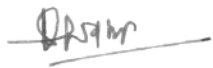

(विकास कुमार स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

क्रमांक- 307-318

दिनांक-24.03.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है -

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर,
2. श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर,
3. सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री जयराम जाट/प्रशांत पूनिया/श्री हिमांशु कुमावत/श्रीमती शिखा शर्मा/श्रीमती संध्या पूनिया/श्रीमती ईशा सांघी
4. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सीकर वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र,
5. उप-निदेशक, अभियोजन विभाग, सीकर,
6. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, सीकर,
7. प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय, सीकर,
8. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर सीकर,
9. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सीकर,
10. जिला कारागृह, सीकर,
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय सीकर की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
12. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।


(विकास कुमार स्वामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)